

**कार्यालय कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.)**

2nd Floor, ब्रिज बिल्डिंग, सिरपुर भवन कैम्पस, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन्स, रायपुर पिन-492001, दूरभाष/फैक्स-0771-2426324,

4075491

ई-मेल आईडी:- eebridgeraipur@gmail.com, eebr.raipur@gov.in

ज्ञाप क्र. 4516 / शिल्प / बालका नदी / 2021-22
प्रति,

रायपुर, दिनांक .10 / 02 / 2021.

**अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)
अरण्य भवन, सेक्टर-19, अटल नगर
रायपुर (छ.ग.)**

विषय :- Construction of H.L. Bridge & Approach Road Near CRPF Camp , Village Birnasilli , Distt. - Dhamtari (C.G.)

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ अरण्य भवन नवा रायपुर का ज्ञाप क्र. भू-प्रबंध/विविध/115-908/नवा रायपुर।

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में आवेदन में दी गई आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार है :-

1.	बिन्दु क्र. B-1 में पूर्व में प्रस्तुत एवं स्वीकृत परियोजना का विवरण अपलोड करें।	पूर्व में कोई भी परियोजना प्रस्तुत या स्वीकृत नहीं है।
2.	बिन्दु क्र. B-2.4 Component wise breakup विवरण के साथ अपलोड करें।	Component wise breakup विवरण अपलोड कर दिया गया है। ब्रिज के दोनो ओर पहुँच मार्ग निर्माण = Length 647.000 M, Width (Avg.) 11.500 M, Area = 7440.000 Sqm. Say 0.744 Hact. , Bridge Portion 100.000 M , Width 8.400 M , Area 840.000 Sqm. Say 0.084 Hact. Total Area = 0.828 Hact.
3.	बिन्दु क्र. B-2.1 सही वनमण्डल अपलोड करें।	सही वनमण्डल उदन्ति- सीता नदी टाईगर रिजर्व अपलोड कर दिया गया है।
4.	C-3 Upload . kml मय polygon के attribute में विवरण (जैसे RF/PF along with Compartment no. and area in ha./ Revenue Forest Land along with khasra no. and area in ha. आदि) जानकारी के साथ अपलोड है। Location of all Structure (Bridge , Minor Bridge and Box Culverts) KML File में चिह्नांकित कर अपलोड करें एवं रोड एवं ब्रिज को अलग रंगों के पालीगॉन से दर्शाएँ।	KML फाईल में RF 351 Area 0.418 Hact. एवं RF 353 Area = 0.410 Hact. को अलग रंग में दर्शाया गया है एवं ब्रिज जो कि दोनो कक्ष क्रमांक में आ रहा है उसे अलग रंग के पॉलीगॉन से दर्शाया गया है।
5.	D-1 प्रस्तावित कार्य हेतु वन क्षेत्र का चयन किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य है। इसका प्रमाण एवं औचित्य बतावें।	वनक्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिये राशन पहुँचाने तथा अन्य शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं आवागमन के लिये एकमात्र मार्ग है। अतः वन क्षेत्र का चयन किया जाना अनिवार्य है।

6.	D-1 (i,ii & iii) में तीन विकल्पों को अलग – अलग रंगों में नक्शे में दिखाये। प्रमाणित करें की तीनों विकल्प बायबल है। प्रमाणित करें कि तीनों में से जो एक विकल्प आपके द्वारा प्रस्तावित किया गया है उसमें सबसे कम वन क्षेत्र व्यपवर्तित होगा। अगर आपके द्वारा प्रस्तावित विकल्प में सबसे कम वनक्षेत्र व्यपवर्तित नहीं होना पाया जा रहा है तो यह प्रमाणित करें कि आपके द्वारा प्रस्तावित विकल्प ही एक मात्र विकल्प है तथा इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।	सेतु निर्माण एवं मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व से निर्मित कच्चे मार्ग की मध्य रेखा का ही उपयोग किया गया है जिसका उपयोग आवागमन के लिए ग्रामीणों द्वारा वर्तमान में भी किया जा रहा है, अतः प्रस्तावित कार्य हेतु चयनित 0.828 हेक्टेयर वनक्षेत्र न्यूनतम एवं आवश्यक है।
7.	Form A Part – I में Coloum No. K <u>status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted</u> (i) Whether the process for settlement of Rights under the forest rights acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed : Yes वन अधिकार पत्र प्राप्त होने पर उक्त कॉलम पर अपलोड करें। आवेदक संस्थान द्वारा उक्त कॉलम Yes किया गया है परन्तु प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है। वन अधिकार पत्र प्राप्ति हेतु कलेक्टर कार्यालय में आवेदन किया गया पत्र अपलोड किया गया है। उक्त कॉलम में No करते हुये, आवेदन को अतिरिक्त जानकारी में अपलोड करें।	वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन अधिकार मान्यता संबंधि प्रमाण पत्र कलेक्टर धमतरी से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पत्र की छायाप्रति अतिरिक्त जानकारी के अंतर्गत अपलोड कर दी गई है।
8.	L <u>Details of land indenified for Compensatory Afforestation</u> (i,ii & iii) में No, Not Applicable , Other लेख किया गया है। कारण स्पष्ट करें।	parivesh.nic.in में आवेदन करते वक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण से संबंधित उपरोक्त कॉलम में जानकारी अपलोड नहीं हो रही है। वैकल्पिक वृक्षारोपण की आवश्यकता होने पर विभाग इस हेतु कार्यवाही करने के लिये वचनबद्ध है।
9.	अतिरिक्त जानकारी में	
	1. छ.ग.शासन के पत्र क्रमांक एफ-5-20/2007/10-2 (पार्ट) दिनांक 13.10.2021 जो कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध /खनिज/ 331-29/2691 दिनांक 27.10.2021 द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षकों को लेख किया गया है। छ.ग.शासन के निर्देशानुसार अनुसार सत्यापित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड करें।	छ.ग.शासन के निर्देशानुसार अनुसार सत्यापित डी. जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड कर दी गई है।
	2. वन क्षेत्र का विवरण संलग्न करें।	वन क्षेत्र का विवरण संलग्न है।
	3. राजस्व वन क्षेत्र है तो पंजीयन हेतु कलेक्टर का अनापत्ति अतिरिक्त जानकारी के रूप में अपलोड करें।	परियोजना में कोई भी राजस्व वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः कलेक्टर के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है

4. रोड की लम्बाई एवं चौड़ाई की जानकारी चैनेज अथवा पैचवार (कम्पार्टमेंट/खसरा वार) जानकारी देवें। उक्त जानकारी को अतिरिक्त जानकारी में अपलोड करें।	कक्ष क्रमांक RF 351 एवं RF 353 में ब्रिज के दोनो ओर पहुँच मार्ग निर्माण = Length 647.000 M, Width (Avg.) 11.500 M, Area = 7440.000 Sqm. Say 0.744 Hact. , Bridge Portion 100.000 M , Width 8.400 M , Area 840.000 Sqm. Say 0.084 Hact. Total Area = 0.828 Hact.
5. पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क हेतु छ.ग.शासन के संलग्न पत्र क्रमांक/एफ-7/22/2009/10-2/रायपुर दिनांक 30.06.2012 अनुसार वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमंडल के नाम से डी.डी. बनवाकर अपलोड करें।	पंजीयन शुल्क रुपये 6000.00 प्रसंस्करण शुल्क रुपये 18000.00 कुल रुपये 24000.00 का मांग पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड की गई है।
6. उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार का स्वीकृति पत्र अपलोड करें।	उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार का स्वीकृति पत्र अपलोड कर दिया गया है।


 कार्यपालन अभियंता,
 लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग
 रायपुर (छ.ग.)